न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

रसद विविध :: 13/2018 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी:–
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पाली		गुरूमुखसिंह पुत्र कालूसिंह निवासी 43, रजत नगर, पाली हाल मालिक मै. सतनाम सर्विस सेन्टर, 43, रजत नगर जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
अधिवक्ता अप्रार्थी श्री बी.आर. चौधरी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 13-8-18

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनकी फर्म मै. सतनाम सर्विस सेन्टर, 43, रजत नगर जिला पाली (राज.) वक्त निरीक्षण दिनांक 10.04.2018 को मौके पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के जिनमें दो खाली एवं एक में 4.200 किग्रा एवं एक में 7.300 किग्रा गैस भरी हुई एवं एक रिफिलींग नली का अवैध संग्रहण किए जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 10.04.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु वह मय जिला रसद अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई (प्रशिक्षु आर.ए.एस.) के साथ पाली शहर स्थित मै. सतनाम सर्विस सेन्टर, 43, रजत नगर पाली पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी श्री गुरूमुख सिंह पुत्र कालूसिंह उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही फर्म का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री असलम पुत्र मुस्ताक खां, निवासी 117, रजत नगर, पाली एवं हुक्माराम पुत्र डूंगाराम निवासी 41, गुरू नगर रोड पाली की उपस्थिति में फर्म की जांच करने पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के जिनमें दो खाली एवं एक में 4.200 किग्रा एवं एक में 7.300 किग्रा गैस भरी हुई एवं एक रिफिलींग नली पायी गयी। मौके पर अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर भरे हुए घरेलु गैस सिलेण्डर संग्रहण करने अथवा बिक्री करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं पाये गए न ही अप्रार्थी ने अपने नाम गैस कनेक्शन होना जाहिर किया। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैसर्स बी.के. एन्टरप्राईजेज, पाली के प्रतिनिधी श्री पवनकुमार पुत्र गोपाराम, निवासी 187, महाराणा प्रताप नगर, पाली से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल मंगवा कर करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री पवनकुमार पुत्र गोपाराम, निवासी 187, महाराणा प्रताप नगर, पाली हाल गोदाम कीपर मैसर्स बी.के. एन्टरप्राईजेज, पाली को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। अप्रार्थी की दूकान घर में ही है वे वक्त निरीक्षण भी गैस डायरियां व कनेक्शन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते थे जो नहीं किए गए, जवाब में उल्लेख बाद में व्यवस्था कर किया गया है जो वक्त निरीक्षण पेश नहीं करके अब पेश करना विधिक रूप न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर व अवैध रिफिलिंग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डरो दो छोटे अप्रमाणिक गैस सिलेण्डर (5किग्रा) एव दो रिफिलींग नलियां को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब एवं वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की दुकान एवं मकान एक ही है। अप्रार्थी की दुकान की साईज लम्बाई 2 फुट व चौडाई 5 फुट है जिसमें वह गैस के चुल्हे, बर्नर के रिपेयरिंग एवं मोटर साईकिल धोने का कार्य करता है। प्रवर्तन निरीक्षक एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 10.04.2018 को उसके घर में से चार गैस सिलेण्डरों को घर से बाहर रोड पर लाकर जब्त कर दिए। जो उसके एवं उसके घर में निवासरत किरायेदारों के है। अप्रार्थी अवैध गैस रिफिलींग का कार्य नहीं करता है न ही उसे अवैध घरेलू गैस बेचाण करते हुए पकड़ा गया है। उपरोत सभी तथ्यों के आधार पर जब्त सुदा सामग्री के संबंध में विनम्र भाव रखते हुए सिलेण्डर रिलीज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के जिनमें दो खाली एवं एक में 4.200 किग्रा एवं एक में 7.300 किग्रा गैस भरी हुई एवं एक रिफिलींग नली उनके व्यावसायिक परिसर मै. सतनाम सर्विस सेन्टर, 43, रजत नगर जिला पाली (राज.) में पाये गये। अप्रार्थी गैस के चुल्हे, बर्नर के रिपेयरिंग एवं मोटर साईकिल धोने का कार्य करता है तथा अप्रार्थी के नाम से गैस एक ही सिलेण्डर जारी किया हुआ है। जबकि चार गैस सिलेण्डर उसकी दुकान से प्राप्त हुए है। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र एवं गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज निरीक्षणकर्ता प्रार्थी के समक्ष वक्त निरीक्षण पेश नहीं किए गए। जबकि घर से लाते तो किरायेदार इस बाबत दस्तावेज के साथ दावा प्रस्तुत कर देते एवं सिलेण्डर जब्त नहीं हो सकते थे। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी की दूकान से प्राप्त सिलेण्डर उसके घरेलू उपयोग के नहीं है तथा अप्रार्थी उनका उपयोग जब्त सुदा अवैध रिफिलींग नली से छोटे सिलेण्डर में भरकर अवैध रूप से गैस का व्यावसय करता था। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री गुरूमुखसिंह द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा अन्य जब्त सुदा एक रिफिलींग नलियों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण एवं अवैध रिफिलिंग किए जाने पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के जिनमें दो खाली तथा एक में 4.200 किग्रा एवं एक में 7.300 किग्रा गैस भरी हुई एक रिफिलींग नली पायी गयी को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर उससे प्राप्त राशि को तथा एक रिफिलींग नली को नीलाम कर उससे प्राप्त समस्त राशि राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 13-8-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)